

"दलितों के शैक्षिक विकास में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का योगदान"

डॉ. विकास भड़िया

सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान)

राजकीय महिला महाविद्यालय, झुंझुनूं

सारांश & दलितों के शैक्षिक विकास में डॉ. अम्बेडकर के त्रयी सिद्धांत अर्थात "शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो" का एक दूसरे से क्रमशः उत्तरोत्तर सम्बद्ध है। इनमें शिक्षा का पहला स्थान है, शिक्षा से संगठन और संगठन से संघर्ष का सीधा सम्बन्ध है, अतः इस त्रयी सिद्धांत को डॉ. अम्बेडकर के शैक्षिक अभियान का हिस्सा माना गया है। डॉ. अम्बेडकर यह भलीभांति जानते थे कि बिना व्यापक शिक्षा अभियान के और बिना उसकी सफल परिणति के दलितों का बौद्धिक स्तर ऊंचा नहीं हो सकता और न ही समाज में उन्हें उन्नत स्तर ही प्राप्त हो सकता है। वे यह भी जानते थे कि मनुष्य शिक्षा के अभाव में पशु तुल्य होता है और पशु तुल्य मनुष्यों के झुण्ड को एक विवेकी मनुष्य अपने बौद्धिक कौशल से मनचाही दिशा में हांकता है।

मूल शब्द - दलित, शिक्षा, संघर्ष, चेतना, उत्पीड़न, आरक्षण, छुआछूत

अम्बेडकर महान समाज सुधारक, न्यायविद, दलितों के उद्धारक तथा भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से एक थे। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा उन्हें आधुनिक भारत के मनु के नाम से पुकारा गया। उनके प्रयत्नों के परिणामस्वरूप ही दलितों के उत्थान से सम्बन्धित अनेक प्रावधानों को संविधान में स्थान दिया गया। उन्होंने महिलाओं की दशा सुधारने तथा दलितों का उद्धार करने में अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया।¹ उनकी अभूतपूर्व सेवाओं व योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें भारत सरकार द्वारा (मरणोपरान्त) भारत-रत्न के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दलितों के शैक्षिक विकास में दिए गए उनके विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

डॉ. अम्बेडकर महार जाति के थे जो अछूत कहे जाते थे, लेकिन उस समय में भी उन्होंने अध्ययन, लेखन, भाषण और संगठन के बहुत से ऐसे कार्य किए जिनका प्रभाव उस समय की और बाद की राजनीति पर है। अछूत समझे, जाने वाली जाति में जन्म लेने के कारण अपने स्कूली जीवन में अम्बेडकर को अनेक अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा। उन सब स्थितियों का धैर्य और वीरता से सामना करते हुए उन्होंने स्कूली शिक्षा समाप्त की। अछूत जाति का बालक होने के कारण उन्हें स्कूल में अन्य बच्चों से अलग बैठाया गया। उन्हें स्कूल के नल के हाथ लगाने की आज्ञा नहीं थी। प्यास लगने पर कोई द्विज वर्ग का बालक या कर्मचारी नल खोलता और बालक अम्बेडकर बिना नल स्पर्श किये पानी पीते। इतना ही नहीं स्कूल में पानी के मटके को वह स्पर्श नहीं कर सकते थे, उनके बाल काटने को कोई नाई तैयार नहीं होता था। कोई बैल गाड़ी वाला उन्हें अपनी गाड़ी में नहीं बैठने देता था क्योंकि उनके स्पर्श मात्र से बैलगाड़ी वाले तथा अन्य सवारियों को अपवित्र होने का डर होता था। इस अन्यायपूर्ण व्यवहार एवं अमानवीयता का बालक भीमराव के बाल हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनके तेवर विद्रोही होते गये। उतना तिरस्कार, अपमान, अमानवीयता एवं असमानता की असहनीय पीड़ा झेलते हुए भीमराव अम्बेडकर ने सन् 1907 में हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की जो एक चमत्कार था लेकिन प्रतिभा को कौन रोक सकता है। प्रतिभा तो सारे आवरण चीर कर सामने आती है। सत्यशोधक समाज आंदोलन के लोगों ने इस प्रतिभाशाली बालक के सम्मान में एक आयोजन किया

और उन्हें गौतम बुद्ध के जीवन पर एक पुस्तक भेंट की। इस पुस्तक ने उनके जीवन में संस्कार बनाने में बड़ा योगदान किया।²

बड़ौदा के महाराज समाज सुधार के कार्यों में गहरी रुचि लेते थे उन्होंने दलित और शूद्र बालकों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया। उन्होंने भीमराव अम्बेडकर को 25 रु मासिक छात्रवृत्ति देना शुरू किया।³

डॉ. अम्बेडकर विषम, अमानवीय तथा अभिशप्त तिरस्कार पूर्ण परिस्थितियों में भी निरन्तर शिक्षा ग्रहण करते रहे और भारतीय समाज में एक अलग पहचान बनाई। उनकी स्पष्ट मान्यता थी हम गुलामी की अवस्था को इसलिए प्राप्त हुए कि हमारे पास ज्ञान नहीं था और शक्ति नहीं थी। डॉ. अम्बेडकर शिक्षा को शक्ति प्राप्ति का एकमात्र माध्यम मानते थे। वह दलितों की शिक्षा प्राप्ति को बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा लोगों को राजनीतिक दृष्टि से जागरूक बनाने तथा अपनी हितों की रक्षा करने के लिए एकजुट होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

डॉ. अम्बेडकर दलितों में शिक्षा के प्रसार को प्राथमिकता देते थे क्योंकि शिक्षा उनकी दृष्टि में दलितों के उद्धार का सशक्त माध्यम थी। दलितों में शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से उन्होंने 1924 में "बहिष्कृत हितकारिणी सभा" की स्थापना, सन् 1928 में "डिप्रेस्ड क्लास ऐज्यूकेशन सोसायटी" तथा "पीपुल्स ऐज्यूकेशन सोसायटी" के संयुक्त तत्वावधान में सिद्धार्थ कॉलेज बम्बई की स्थापना 1946 में तथा औरंगाबाद में "मिलिन्द कॉलेज" की स्थापना 1951 में की।⁴

दलितों में शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ उन्होंने समाज में राजनीतिक चेतना जगाने के लिए अनेक संगठनों की स्थापना की। सन् 1927 में "समता सैनिक दल", 1936 में इन्डिपेन्डेंट लेबर पार्टी, 1942 में "ऑल इण्डिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन" का गठन किया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर को दलित आंदोलन का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन पर्यंत दलितों को हर मोर्चे पर तैयार करने का प्रयास किया और उन्हें संघर्षशील बनाया।⁵

डॉ. अम्बेडकर ने दलित वर्गों के छात्रों के मध्य चेतना जागृत करने और उन्हें संगठित करने के उद्देश्य से "समता संघ दल" का भी गठन करवाया। इस दल का उद्देश्य दलित वर्गों के छात्रों के मध्य अनुशासन और आत्म नियंत्रण के भावों को जागृत करना था।⁶

अनुसूचित जातियों के युवकों में शिक्षा के प्रसार के लिये अम्बेडकर ने 1945 में पीपुल्स ,Sक्शन सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था ने बम्बई प्रेसिडेन्सी में अनेक महाविद्यालय खोले।

अम्बेडकर ने यह भली-भाँति अनुभव कर लिया था कि दलित वर्गों के उत्थान व अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए केवल सवर्णों की सद्भावना व सदिच्छा पर निर्भर नहीं किया जा सकता। दलित वर्गों का वास्तविक उत्थान तभी संभव है जब दलित वर्ग स्वयं जागरूक हो तथा उन्नति के लिए संघर्ष करने को कटिबद्ध हो जाएँ। अम्बेडकर ने दलित वर्गों के उत्थान के लिए प्रसिद्ध नारा दिया, "शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।"

अम्बेडकर का मत था कि वर्तमान दशा के प्रति संतोष, दमन और उत्पीड़न को शांति से सहने की प्रवृत्ति तथा मानसिक उदासीनता के निराकरण के लिए दलित वर्गों को शिक्षित किया जाना बहुत आवश्यक है। गहनता से विचार करने के पश्चात अम्बेडकर ने कहा कि दलितों की हीन स्थिति के लिए दो कारण उत्तरदायी प्रतीत होते हैं - प्रथम हमारे पास ज्ञान नहीं है दूसरा हमारे पास शक्ति नहीं है।⁷

दलित वर्गों की दशा में सुधार के लिये अम्बेडकर उनमें शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार आवश्यक मानते थे। किंतु उनकी यह मान्यता थी कि शिक्षा का जो स्वरूप भारतीय समाज में प्रचलित था, वह व्यक्तियों को जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव के पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं करता था। इसलिए वे शिक्षा की प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तनों के पक्षधर थे।⁸

अम्बेडकर की यह अपेक्षा थी कि सरकार द्वारा दलित वर्ग में शिक्षा के प्रसार के लिए उन्हें पर्याप्त सुविधाएं और साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। दलित वर्गों को शिक्षा के समुचित अवसर प्रदान करने के लिए उन्होंने विद्यालयों और महाविद्यालयों में इन वर्गों के छात्रों के लिए स्थानों का एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित करने की मांग की।

दलित वर्गों के छात्रों में शिक्षा के प्रति प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए तथा शिक्षा के पश्चात उन्हें उनके परम्परागत पૈतृक व्यवसायों से पृथक उपयुक्त व्यवसायों में लगने का अवसर प्रदान करने के लिए राजकीय सेवा में इन वर्गों के लिए पदों के आरक्षण की मांग भी की। अम्बेडकर ने दलित वर्ग के बालकों को औपचारिक शिक्षा के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उनके मध्य अनौपचारिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार को भी उपयोगी माना।

अम्बेडकर ने अस्पृश्यों और दलित वर्ग के सदस्यों को सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान बुराइयों तथा उनके विरुद्ध हो रहे अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए संगठित किए जाने पर बल दिया। अम्बेडकर ने दलित वर्गों को परामर्श दिया है कि वे अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय के सामने मूक और असहाय होकर नहीं बैठे रहें, अपितु समाज में अपना न्यायसम्मत स्थान प्राप्त करने के लिए सक्रिय संघर्ष करें।

अम्बेडकर प्रशासन में दलित वर्गों को समुचित भागीदारी प्रदान करने तथा दलित वर्गों के शिक्षित सदस्यों को रोजगार के समुचित अवसर प्रदान करने के लिए राजकीय सेवाओं में उनके लिए स्थान आरक्षित किए जाने को उचित मानते थे। उन्होंने सेवाओं में दलित वर्गों के दावों को विशेष संरक्षण प्रदान करने के लिए कानूनी और सांविधानिक प्रावधानों पर बल दिया। भारत के संविधान में विधान-मण्डलों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधानों को सम्मिलित करवाने में अम्बेडकर ने निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अम्बेडकर का मानना था कि दलित वर्गों में शिक्षा के लिये जागरूकता उत्पन्न करना ही पर्याप्त नहीं होगा। उनकी मान्यता थी कि केवल स्कूलों, महाविद्यालयों तथा तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण प्रदान कर देने मात्र से ही वास्तविक उन्नति सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी। उनका मानना था कि इन वर्गों की शैक्षणिक उन्नति और उन्हें उपयुक्त और सम्मानजनक व्यवसायों में लगाना तभी संभव होगा जब इस दिशा में राज्य द्वारा सकारात्मक प्रयत्न किये जायें तथा ऐसा वातावरण बनाया जाये कि यह वर्ग समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष आकर शिक्षा की सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

दलित वर्गों के मध्य शिक्षा के प्रसार तथा उन्हें सम्मानप्रद और उच्चतर व्यवसायों में नियोजित करने के लिये उपयुक्त वातावरण बनाने की दृष्टि से अम्बेडकर ने राज्य से दलित वर्ग के सदस्यों को उचित संख्या में तथा समुचित राशि की छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने तथा उनके लिए छात्रावासों की व्यवस्था करने की अपेक्षा की।

अम्बेडकर ने यह भी मांग की कि दलित वर्गों के युवकों को तकनीकी शिक्षा के लिए देश और विदेशों में अध्ययन व प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त सुविधाएं तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। भारत के संविधान के अनु० 338 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिये निमित्त कार्यक्रमों के कार्यकरण के सम्बन्ध में अन्वेषण करने और समुचित उपाय सुझाने के लिये एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान, तथा अनु० 350 में पिछड़े

वर्गों की दशाओं के अन्वेषण और उनके उत्थान के लिये विशेष कार्यक्रम सुझाने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था, संविधान सभा में इस संदर्भ में डॉ० अम्बेडकर द्वारा किये गये विशेष प्रयत्नों के उदाहरण हैं।⁹

सम्पूर्ण भारतीय समाज के संबंध में उनका मानना था कि प्रत्येक दशा एवं दिशा के कलह और क्लेश का कारण समान एवं सार्वभौम शिक्षा का अभाव ही है। यदि समाज में आदर्शोन्मुखी शिक्षा का व्यापक प्रचार एवं प्रसार कर दिया जाए तो उनकी अनेक विषमतायें स्वतः ही समाप्त हो जायेगी और समाज समता मूलक पथ का प्रबल अनुगामी बन जायेगा। यदि दलितों को शिक्षा से वंचित न किया गया होता, उनके लिये शिक्षा के निषेध न निर्मित किये गये होते तो आज सामाजिक कलह और क्लेश दृष्टिगत ही न होता। वर्ण व्यवस्था और जाति भेद अशिक्षा के ही दुष्परिणाम हैं।¹⁰

बाबा साहब का यह मन्तव्य था कि शिक्षा की अनिवार्यता से दलित समाज के लोग शिक्षित होकर सरकारी सेवाओं में जायेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और जीवन स्तर उन्नत होगा। इसके व्यापक प्रभाव से धीरे-धीरे छुआछूत का भेदभाव समाप्त होगा, किन्तु इस संबंध में उनका यह भी मन्तव्य था कि शिक्षा द्वारा वर्तमान दृष्टिकोण में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक शिक्षा में मानवीय गुणों को व्यापक रूप से समाहित नहीं किया जायेगा। वे नैतिक एवं सामाजिक स्तर को उन्नत करने वाले गुणों से शिक्षा का सह सम्बन्ध होना अनिवार्य है। इसके साथ ही वे शील और सदाचार पर आधारित शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की कि शिक्षा का प्रत्येक संस्थान प्रत्येक भारतवासी के लिए समान रूप से खुला रहेगा।

बार्षी (शोलापुर) में बहिष्कृत वर्गों की परिषद् में 24 मई 1924 को बोलते हुए बाबा साहब ने अपने समाज के शिक्षित लोगों को जो शिक्षा के महत्त्व को आसानी से समझ सकते हैं, भावी पीढ़ी की उन्नति के लिए आगे आने का आह्वान किया -

"मेरे शिक्षित भाइयों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी भावी पीढ़ियां आपको सम्मान और आदर के साथ याद करें, यदि आप चाहते हैं कि आप जिस हालात में रहे हैं, आपके बच्चे उससे अच्छी स्थिति में रहे तो कृपया आगे बढ़कर आएं। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हालात में सुधार लाने के लिए हम अपनी ओर से सर्वोत्तम प्रयास करें।"¹¹

बाबा साहब इस बात पर बार-बार जोर देते हैं कि शिक्षा के साथ समाज परिवर्तन आवश्यक है। यदि समाज में छुआछूत की भावना घर किए रहती है और दलित समाज शिक्षित हो जाता है तो भी कोई बहुत अधिक परिवर्तन होने वाला नहीं है।

निष्कर्ष -

भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने सम्पूर्ण दलित एवं सर्वहारा समाज के लिए 'शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो' का अमर संदेश दिया। इस संदेश का अपना एक क्रम है। वे दलित एवं सर्वहारा समाज को प्राथमिकता के साथ शिक्षित करना चाहते थे। उनका मानना है कि शिक्षित समाज अपने बौद्धिक कौशल से समान धरातल पर संगठित हो सकता है। इसके साथ ही शिक्षित एवं संगठित समाज अपने मौलिक अधिकारों के लिए संघर्ष भी कर सकता है।

दलित वर्गों की दशा में सुधार के लिए भीमराव अम्बेडकर उनमें शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार को आवश्यक मानते थे। किंतु उनका मानना था कि शिक्षा का जो स्वरूप भारतीय समाज में प्रचलित था, वह व्यक्तियों को जाति और वर्ण के आधार पर भेदभाव के पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं करता था। इसलिए वे शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन के पक्षधर थे।

संदर्भ

- (1) प्रमुख राजनीतिक विचारक - डॉ. गौतम वीर, एम्पायर बुक्स इंटरनेशनल, दरियागंज नई दिल्ली पृ. सं. 935
- (2) डॉ. भीमराव अम्बेडकर व्यक्तित्व - मोहन सिंह, लोक भारती पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद पृ. सं. 03
- (3) डॉ. भीमराव अम्बेडकर और शिक्षा - डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव, अर्पण पब्लिकेशन्स दरियागंज, नई दिल्ली पृ. सं. 111
- (4) सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष - डॉ. रामगोपाल सिंह, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर पृ. सं. 28
- (5) भारत में सामाजिक आंदोलन - वी.एन. सिंह, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर पृ. सं. 212
- (6) भारतीय दलित समस्याएं एवम समाधान - डॉ. रामगोपाल सिंह, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल पृ. सं. 142
- (7) नवयुग 13 अक्टूबर, 1947
- (8) डॉ. अम्बेडकर, लाइफ एण्ड मिशन - धनंजय कीर, पॉपुलर पब्लिकेशन्स, बम्बई पृ. सं. 12
- (9) प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक - डॉ. मधुकर श्याम चतुर्वेदी, डॉ. इनाक्षी चतुर्वेदी, कॉलेज बुक हाउस चौड़ा रास्ता जयपुर पृ. सं. 429
- (10) डॉ. भीमराव अम्बेडकर और शिक्षा - डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव, अर्पण पब्लिकेशन्स दरियागंज नई दिल्ली पृ. सं. 98
- (11) बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर, शैक्षिक अवदान - हनुमान सिंह राठौड़, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ मौजपुर, दिल्ली पृ. सं. 64